न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः—**(दिव्या) RAS**

प्रकरण संख्याः—502 / 2023

वादपत्र अन्तर्गत धाराः— 88 आर.टी.ए.

पवनेश पुत्र श्री श्योपतराम जाति जाट निवासी फतेहगढ़ खिलेरी बास तहसील व जिला हनुमानगढ़

— वादी

बनाम्

1 अमित पुत्र स्व0 श्री सुभाष जाति जाट निवासी महियावांली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. मायादेवी पत्नी स्व0 श्री सुभाष जाति जाट निवासी महियावांली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. पूजा पुत्री स्व0 श्री सुभाष पत्नी श्री मनित जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. इन्द्रावती पत्नी श्री धर्मवीर पुत्री स्व0 विद्या जाति जाट निवासी 33 बी, सैक्टर 20, चण्डीगढ़।
5. संतोष पत्नी श्री श्योपतराम जाति जाट निवासी फतेहगढ़ खिलेरी बास तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. संजय पुत्र श्री श्योपतराम जाति जाट निवासी फतेहगढ़ खिलेरी बास तहसील व जिला हनुमानगढ़।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री भवानी सिंह निर्वाण — अधिवक्ता वादी
2. श्री सुरेन्द्र सहारण — प्रतिवादी सं. 1 ता 6

—:निर्णयः—

दिनांक .....

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादी स्वयं व वादी की बुआ व प्रतिवादीगण सख्या 1 व 3 की दादी, प्रतिवादी संख्या 2 की सास व प्रतिवादी संख्या 4 की माता स्व0 विद्या के नाम से निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है :— चक 23 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 124 / 99 के पत्थर नंबर 96 / 293 (65) किला नंबर 16, 25 व पत्थर नंबर 97 / 293 (64) किला नंबर 18, 19, 21 ता 23 कुल 1.771 हैक्टेयर नाली प्रथम में वादी के नाम 4 / 21 हिस्सा व वादी की बुआ विद्या पुत्री मनीराम के नाम 1 / 7 हिस्सा। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न वादपत्र है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की दादी व प्रतिवादी संख्या 2 की सास व प्रतिवादी संख्या 4 की माता स्व0 विद्या के नाम से दर्ज कृषि भूमि अर्सा दराज पूर्व मुताबिक घराघरू बंटवारा वादी व प्रतिवादी संख्या 6 के पिता व प्रतिवादिया सख्या 5 के पति स्व0 श्री श्योपतराम को प्राप्त हुई थी तथा उनकी मृत्यु उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 के मध्य हुये घराघरू बंटवारा अनुसार उक्त कृषि भूमि वादी को प्राप्त हुई है तथा वादी के कब्जा काश्त में है। वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा उन्होनें अपना हक व हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क किया हुआ है लेकिन यह कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज नहीं होने से वादी के हक, हकूक व खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है तथा वादी राज्य सरकार से मिलने वालो लाभों से वंचित हो रहा है। इन हालात में वादी न्याय की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित चक 23 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 124 / 99 के पत्थर नंबर 96 / 293 (65) किला नंबर 16, 25 व पत्थर नंबर 97 / 293 (64) किला नंबर 18, 19, 21 ता 23 कुल 1.771 हैक्टेयर नाली प्रथम में विद्या पुत्री मनीराम के नाम दर्ज 1 / 7 हिस्सा का वादी खातेदार काश्तकार है तथा इस खाता से विद्या पुत्री मनीराम का नाम कलमजन करवाने का अधिकारी है तथा इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:38:53 IST
Reason: SelfAttested

वादी वादपत्र की चरण सख्या 3 में वर्णित चक 23 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 124/99 की कुल 1.771 हैक्टेयर नाली प्रथम में स्वयं के नाम दर्ज 4/21 हिस्सा अर्थात् 0.337 हैक्टेयर व विद्या के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा अर्थात् 0.253 हैक्टेयर कुल 0.590 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार है।

यह कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण से अर्सा सात दिवस पूर्व निवेदन किया कि वे वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में विद्या पुत्री श्री मनीराम के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा की कृषि भूमि की वादी के नाम घोषणा करवा देवें व इस खाता से विद्या पुत्री मनीराम का नाम कलमजन करवा देवें तो वे इनकार हो गये। यही वाद कारण है।

यह कि वादपत्र में वर्णित आराजी माननीय न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में स्थित है, जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वादपत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :–

क– कि घोषणा फरमाई जावें कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित चक 23 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 124/99 के पत्थर नंबर 96/293 (65) किला नंबर 16, 25 व पत्थर नंबर 97/293 (64) किला नंबर 18, 19, 21 ता 23 कुल 1.771 हैक्टेयर नाली प्रथम में विद्या पुत्री मनीराम के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा अर्थात् 0.253 हैक्टेयर व स्वयं के नाम दर्ज 4/21 हिस्सा अर्थात् 0.337 हैक्टेयर कुल 0.590 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार है।

ख– कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित चक 23 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 124/99 की कुल 1.771 हैक्टेयर नाली प्रथम में विद्या पुत्री मनीराम का नाम कलमजन फरमाया जावे।

≃ वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार सहारण ने वकालतनामा व जवाब दावा सहमति का पेश किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक अनुतोष के वाद पत्र डिक्री किए जाने का निवेदन किया। जवाब सहमति पेश होने के कारण न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद नहीं है अतः तनकीयात की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए वादी वाद मुताबिक अनुतोष के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष वाद के निर्णित किया जाता है किः– चक 23 एच.एम. एच. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 124/99 के पत्थर नंबर 96/293 (65) किला नंबर 16, 25 व पत्थर नंबर 97/293 (64) किला नंबर 18, 19, 21 ता 23 कुल 1.771 हैक्टेयर नाली प्रथम में विद्या पुत्री मनीराम के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा अर्थात् 0.253 हैक्टेयर व वादी स्वयं के नाम दर्ज 4/21 हिस्सा अर्थात् 0.337 हैक्टेयर कुल 0.590 हैक्टेयर का वादी पवनेश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार उक्त खाते से खातेदार विद्या पुत्री मनीराम का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है। यदि स्टाम्प ड्यूटी देय बनती हो तो तहसीलदार हनुमानगढ गणना कर नियमानुसार वसूल करेंगे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी की जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:33:51 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– **(दिव्या)** **RAS**

प्रकरण संख्याः–502/2023

पवनेश पुत्र श्री श्योपतराम जाति जाट निवासी फतेहगढ़ खिलेरी बास तहसील व जिला हनुमानगढ़

– वादी

बनाम्

1 अमित पुत्र स्व0 श्री सुभाष जाति जाट निवासी महियावांली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2. मायादेवी पत्नी स्व0 श्री सुभाष जाति जाट निवासी महियावांली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

3. पूजा पुत्री स्व0 श्री सुभाष पत्नी श्री मनित जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

4. इन्द्रावती पत्नी श्री धर्मवीर पुत्री स्व0 विद्या जाति जाट निवासी 33 बी, सैक्टर 20, चण्डीगढ़।

5. संतोष पत्नी श्री श्योपतराम जाति जाट निवासी फतेहगढ़ खिलेरी बास तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6. संजय पुत्र श्री श्योपतराम जाति जाट निवासी फतेहगढ़ खिलेरी बास तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 88 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ दिव्या आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री भवानी सिंह निर्वाण वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सुरेन्द्र सहारण वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः– चक 23 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 124/99 के पत्थर नंबर 96/293 (65) किला नंबर 16, 25 व पत्थर नंबर 97/293 (64) किला नंबर 18, 19, 21 ता 23 कुल 1.771 हैक्टेयर नाली प्रथम में विद्या पुत्री मनीराम के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा अर्थात् 0.253 हैक्टेयर व वादी स्वयं के नाम दर्ज 4/21 हिस्सा अर्थात् 0.337 हैक्टेयर कुल 0.590 हैक्टेयर का वादी पवनेश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार उक्त खाते से खातेदार विद्या पुत्री मनीराम का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है। यदि स्टाम्प ड्यूटी देय बनती हो तो तहसीलदार हनुमानगढ गणना कर नियमानुसार वसूल करेंगे।

तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी कर लगाम कायमी के आदेश दिए जाते है। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ..... को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:33:51 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या) **RAS**
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ